# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम पंचायत वरदा दिनांक 16.5.2018

प्रकरण संख्या– 12/2018(राजस्व वाद) दायर दिनांक–26.3.2018

फैसल दिनांक–16.5.2018

(केम्प – वरदा )

1– कालीदास पिता वक्ता यादव जाति चमार निरवासी वरदा तहसील सागवाडा

(वादी)

बनाम

1– श्री प्रीयांक पिता शंकर उर्फ शंकरलाल यादव जाति चमार निवासी वरदा
2– उर्वशी पिता पिता शंकर उर्फ शंकरलाल यादव जाति चमार निवासी वरदा
3– श्रीमती लाली बेवा शंकर उर्फ शंकरलाल यादव जाति चमार निवासी वरदा
4– श्री नाथू पिता मोगजी यादव जाति चमार निवासी वरदा
5– शान्ति पिता मोगजी यादव जाति चमार निवासी वरदा
6– नीमा पिता मोगजी यादव जाति चमार निवासी वरदा
7– श्रीमती शान्ति पत्नि रामचन्द्र यादव जाति चमार निवासी वरदा
8– भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब सागवाडा

(प्रतिवादीगण )

वकील वादी – श्री निखिल सोमपुरा
वकील प्रतिवादी– पैरोकार

दावा बात इन्द्राज दुरूस्त करने अन्तर्गत धारा 136 राज0लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार केम्प वरदा पर प्रस्तुत हुई । वाद विवरण इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी स्वामित्व एवं कब्जे शुदा पैतृक कृषि भूमि खाता संख्या 79/89 कुल खसरा एक रकबा 4चार बिस्वा , खाता संख्या 111/123 कुल खसरा छ : रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ,खाता संख्या 86/97 कुल खसरा एक रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा ,खाता संख्या 91/103 कुल खसरा एक रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा है । उक्त कृषि भूमि पर वादी बराबर हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में 79/89 कुल खसरा एक रकबा 4चार बिस्वा में कारूलाल , खाता संख्या 111/123 कुल खसरा छ : रकबा 2 बीघा 2 बिस्वामें कुरीया ,खाता संख्या 86/97 कुल खसरा एक रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में कालिया ,खाता संख्या 91/103 कुल खसरा एक रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में कालु है जबकि वादी का सही नाम कालीदास पिता वक्ताजी यादव है

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

यह कि उक्त कृषि भूमि के रेकार्ड में मेरा नाम गलत होकर राजस्व रेकार्ड में सही नाम कालीदास पिता वक्ताजी यादव दर्ज किया जाना आवश्यक है । यह कि उक्त वर्णित भूमि वादी की पैतृक होकर वादी का बराबर का हिस्सा है । वादी द्धारा वाद के अन्त में वाद वर्णित भूमि में वादी का गलत नाम की जगह सही नाम कालीदास पिता वक्ताजी यादव राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने निवेदन किया गया है ।

वादी द्धारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमाबन्दी खाता संख्या 79 / 89,111 / 123,86 / 97,91 / 103 की नकल , पेन कार्ड ,आधार कार्ड ,स्कुल प्रमाण पत्र एवं बैंक सम्बन्धि दस्तावेज की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किए गए। न्याय आपके द्धार अभियान पंचायत मुख्यालय वरदा पर पत्रावली प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी तहसीलदार सागवाडा ने वाद पत्र से सहमती जाहीर कर वाद स्वीकार किए जाने में कोई ऐतराज नही होना बताया । शिविर स्थल पर पंचायत द्धारा भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादी का नाम वाद वर्णित भूमि में गलत अंकित हो गया है एवं वादी का सही नाम कालिदास पिता वक्ताजी यादव है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । वादी की ओर से वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी खाता संख्या 79 / 89,111 / 123,86 / 97,91 / 103 की नकल , पेन कार्ड ,आधार कार्ड ,स्कुल प्रमाण पत्र एवं बैंक सम्बन्धि दस्तावेज का अवलोकन किया गया । मौजा ,वरदा की जमाबन्दी खाता संख्या 79 / 89 कुल खसरा एक रकबा 4चार बिस्वा में कारूलाल , खाता संख्या 111 / 123 कुल खसरा छ : रकबा 2 बीघा 2 बिस्वामें कुरीया ,खाता संख्या 86 / 97 कुल खसरा एक रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में कालिया ,खाता संख्या 91 / 103 कुल खसरा एक रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में कालु अंकित है जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज पेन कार्ड ,आधार कार्ड ,स्कुल प्रमाण पत्र एवं बैंक सम्बन्धि दस्तावेज में वादी का नाम कालिदास पिता वक्ताजी यादव अंकित है । पंचायत द्धारा शिविर स्थल पर प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादी का सही नाम कालिदास पिता वक्ताजी यादव है ।

अतः वाद वादी स्वीकार एंव डिक्री किया जाकर मोजा वरदा की जमाबन्दी खाता संख्या 79 / 89 कुल खसरा एक रकबा 4चार बिस्वा में कारूलाल , खाता संख्या 111 / 123 कुल खसरा छ : रकबा 2 बीघा 2 बिस्वामें कुरीया ,खाता संख्या 86 / 97 कुल खसरा एक रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में कालिया ,खाता संख्या 91 / 103 कुल खसरा एक रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में कालु गलत नाम को संशोधित किया जाकर कालिदास पिता वक्ताजी यादव दर्ज किया जाने आदेश दिया जाता है ।

आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार सागवाडा को लिखा जावे ।

पत्रावली फैसल शुमार हो , नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा